

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-23042025-262623
SG-DL-E-23042025-262623असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 18
No. 119]	DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947	[N. C. T. D. No. 18

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

फा0 सं0 50(46)/डीसी/स्था0/2024/41.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।
- ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
अथवा
(ख) जो एक जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :—इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	: स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I)
2.	पदों की संख्या	: 02 (2025) परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	: सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	: गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	: लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने	: पदोन्नति द्वारा

	वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	<p>पदोन्नति :</p> <p>ग्रेड में 06 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 (रुपये 25500-81100/-) में स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) अथवा स्टाफ कार चालक, ग्रेड-II तथा सामान्य ग्रेड में कुल 15 वर्षों की संयुक्त सेवा सहित तथा उन्होंने सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>टीप :-</p> <p>जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य 3. उप-सचिव (10विका0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य <p>टीप :- यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।</p>
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से

राज कुमार, उप-सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th April, 2025

F. No. 50(46)/DC/Estt./2024/41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O.3532 dated 24.09.1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment

to the post of Staff Car Driver (Grade I) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. Short title and commencement-

(i) These rules may be called the Drugs Control Department, Staff Car Driver (Grade-I) Recruitment Rules, 2025

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.

4. Disqualification.-No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving- Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Staff Car Driver (Grade-I) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Staff Car Driver (Grade -I)	02 (2025) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 (Rs.29200 - 92300) of the Pay Matrix	Non-Selection	Not Applicable

Educational and other Qualification required for Direct Recruits	Whether age & Educational Qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10

Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion
----------------	----------------	----------------	--------------

In case of Recruitment by Promotion/ deputation/ absorption grades from which Promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p>Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) in the pay Level 4 (Rs. 25500 - 81100) of the pay matrix with 06 years of regular service in the Grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver, Grade II and Ordinary Grade put together and have passed the trade test, specified by the government</p> <p>Note: Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service</p>	<p>Group 'C' DPC (for considering promotion/ confirmation):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Principal Secretary/ Secretary (PWD) - Chairman 2. Head of the Department concerned - Member 3. Deputy Secretary (UD) GNCT of Delhi - Member <p>Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee</p>	Not applicable

By order and in the name of the Lt. Governor, Delhi

RAJ KUMAR, Dy. Secy, (H&FW)